

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] No. 103] ंनई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2004/माघ 8, 1925

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2004/MAGHA 8, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2004

का.आ. 125(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205ग की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा सं. सा.का.नि. 749(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2001 के द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को प्रशासित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनी समिति गठित करती है, अर्थात् :—

सर्वश्री

| 1. | सचिव, कंपनी कार्य विभाग (कं.का.वि.) | —अध्यक्ष |
|-----|---|-----------------|
| 2. | अपर सचिव/संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, कं.का.वि. | —सदस्य |
| 3. | कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई | —सदस्य |
| 4. | कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई | —सदस्य |
| 5. | प्रो. जे.एल. गुप्ता, श्री राम वाणिज्य महाविद्यालय | सदस्य |
| 6. | पी.एन. विजय, निवेशक विश्लेषक, दिल्ली | —सदस्य |
| 7. | सुश्री सुचेता दलाल, पत्रकार, मुंबई | — सदस्य |
| 8. | किरती सोम्मया, संसद सदस्य, लोक सभा | —सदस्य |
| 9. | मनु चड्डा, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली | सदस्य |
| 10. | राजेन्द्र चिटले, चार्टर्ड एकाउंटेंट | —सदस्य |
| 11. | अजय शाह, परामर्शदाता, आर्थिक कार्य विभाग | सदस्य |
| | उपाध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड | —विशेष आमंत्रित |
| | संयुक्त सचिव, कंपनी कार्य विभाग | —संयोजक |

2. समिति के सदस्य इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे।

[फा. सं. 5/19/2003-आई.ई.पी.एफ.]

डॉ. शीला भिडे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2004

S.O. 125(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 205C of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes a committee consisting of the following persons to administer the Investor Education and Protection Fund established by the Central Government *vide* No. GSR 749(E) dated 1st October, 2001, namely:—

S/Shri

| 1. | Secretary, Department of Company Affairs (DCA) | —Chairman |
|-----|--|------------------|
| 2. | Additional Secretary/Joint Secretary and Financial Adviser, DCA | Member |
| 3. | Executive Director, Reserve Bank of India, Mumbai | Member |
| 4. | Executive Director, Securities and Exchange Board of India, Mumbai | Member |
| 5. | Prof. J.L. Gupta, Sri Ram College of Commerce | Member |
| 6. | P.N. Vijay, Investor Analyst, Delhi | Member |
| 7. | Ms. Sucheta Dalal, Journalist, Mumbai | -Member |
| 8. | Kirit Somaiya, Member of Parliament, Lok Sabha | -Member |
| 9. | Manu Chadha, Chartered Accountant, New Delhi | Member |
| 10. | Rajendra Chitale, Chartered Accountant | -Member |
| 11. | Ajay Shah, Consultant, Department of Economic Affairs | Member |
| | Vice-Chairman, Company Law Board | —Special Invitee |
| | Joint Secretary, Department of Company Affairs | Convenor |
| | | |

2. The Members of the Committee shall hold office for a period of two years with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 5/19/2003-IEPF]

Dr. SHEELA BHIDE, Jt. Secy.